लालचन्द बनाम रामनारायण

पील संख्या : 14/77

09.08.2019	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अबेट किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत कर अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट लालचन्द की मृत्यु दिनांक 04.01.2015 को हो चुकी है उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र 90 दिवस के अन्दर पेश किया जाना आवश्यक होता है । अतः अपील अबेट की जावे । उनके द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 के तहत दिनांक 03.04.2019 को पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जिसके अभाव में इतने विलम्ब से पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है न ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अबेट की जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनरजे 2012 (2) (राज0) पेज 729, आरएलडब्ल्यू 1985 पेज 311, आरबीजे (4) 1997 पेज 355, आरआरटी 2004 (2) पेज 1150 उद्धरत की । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं इस कारण वे समय पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर पाये । आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अतः मृतक लालचन्द अपीलान्ट के उक्त कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 43 एवं आरआरडी 1993 पेज 533 उद्धरत की । हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि अपीलान्ट की मृत्यु दिनांक 04.01.2015 को हो चुकी है कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । अतः अपील को अबेट किया जावे । यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2019 को पेश किया गया है । इसके उपरान्त दिनांक 03.04.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपीलान्ट की ओर से पेश किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वकील साहब के द्वारा समय पर सूचना नहीं दी गई इस कारण कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सका । अतः कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियमा का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र में मृत्यु की तारीख भी अंकित नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलान्ट लालचन्द की मृत्यु दिनांक 04.01.2015 को हो चुकी है । आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगभग 04 वर्ष के विलम्ब से पेश किया गया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं

किया गया है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अबेट होने योग्य है ।

विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2012 (2) (राज0) पेज 729 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि "अपील के विचाराधीन अपीलान्ट की मृत्यु हुई है उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना के बगैर एक वर्ष से अधिक समय के बाद विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन पेश किया – धारा 05 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पेश नहीं किया है सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई व खारिज की" विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा जो नजीर उद्धरत की गई है वे सन् 1993 की हैं और माननीय राजस्व मण्डल की हैं । आरआरडी 1993 पेज 43 में विलम्ब एक वर्ष का है और उसके साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा कायममुकामान का प्रार्थना पत्र समयावधि के भीतर पेश नहीं किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अबेट किये जाने अपील स्वीकार कर अपील अबेट की जाती है । शुमार फैसल हो वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । 21/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा